इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 1 अगस्त, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूी

मौद्रिक नीति की समीक्षा----------1
मुख्य घटनाएं / बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं---------- 3
विनियामकों के कथन ----------4
सूक्ष्मवित्त / विदेशी मुद्रा ----------5
उत्पाद एवं गठजोड़ /नयी नियुक्तियां ----------5
बॉण्ड बाजार की मूलभूत जानकारी---------- 6
बासेल -III - पूंजी विनियमन ---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं /शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई
अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

1ली तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा - 30 जुलाई 2013

मौद्रिक उपाय

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (Repo) दर 7.25% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद दर से 100 आधार अंक के अंतर के साथ निर्धारित प्रति (Reverse) पुनर्खरीद दर 6.5% पर कायम।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर पुनर्खरीद दर से 300 आधार अंक के अधिक के स्तर 10.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित।
- अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) को उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.0 प्रतिशत पर कायम रखा गया है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

- 12 जुलाई को वर्षानुवर्ष 12.8% की दर पर मुद्रा आपूर्ति (एम) 13 प्रतिशत के संकेतात्मक प्रक्षेप वक्र के निकट रही। दूसरी ओर सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मंदी के प्रसार के फलस्वरूप 14.3 प्रतिशत की दर पर खाद्येतर ऋण वृद्धि 15.0 प्रतिशत के संकेतात्मक प्रक्षेप वक्र से कमतर रही।
- मई वाली नीति के बाद से चलनिधि की स्थितियां पर्याप्त रूप से सहज हो गई हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत औसत दैनिक निवल चलनिधि निषेचन 2012-13 की 4थी तिमाही के दौरान 1,078 बिलियन रुपये से घट कर 1ली तिमाही के दौरान 828 बिलियन रुपये रह गया। सरकारी शेषराशियों में 28 जून से कमी आई है और इस स्थिति ने चलनिधि को अवलंब प्रदान किया है, जिससे चल निधि समायोजन सुविधा के तहत निधियों की मांग में पर्याप्त रूप से कमी आई है। जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान चलनिधि सुविधा से निवल आहरण पर्याप्त रूप से घट गया है। 26 जुलाई को यह (सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) से 229 बिलियन रुपये सहित) 558 बिलियन रुपये थी।
- मई में पुनर्खरीद (Repo) दर में कमी और चलनिधि की स्थितियों में सुधार के अनुसरण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की मॉडल सावधि जमा दर में 1ली तिमाही के दौरान 5 आधार अंकों की गिरावट आई। यद्यपि तिमाही के दौरान मॉडल आधार दर अपरिवर्तित रही,

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के बकाया रुपया ऋणों से सम्बन्धित भारित औसत उधार दर (WALR) में तिमाही के दौरान 6 आधार अंकों की कमी आई। नये ऋणों, विशेषत: आवास और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र के मामले में इस अवधि के दौरान भारित औसत उधार दर (WALR) में उल्लेखनीय रूप से कमी आई।

- 15 जुलाई को रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाज़ार में स्थिरता वापस लाने के लिए उपाय लागूं किए। उनमें सीमांत स्थायी सुविधा दरों को 200 आधार अंक बढ़ाकर 10,25 प्रतिशत किए जाने, चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत पुनर्खरीद के रूप में समग्र पहुंच को 750 बिलियन रुपये तक सीमित करने तथा 18 जुलाई, 2013 को 25 बिलियन रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाज़ार में बिक्री करने का समावेश था। एक आकस्मिक उपाय के रूप में तथा पारस्परिक निधियों पर प्रतिमोचन के प्रयासों के दबाव की प्रत्याशा में रिज़र्व बैंक ने पारस्परिक निधियों को चलनिधि सहायता के लिए 250 बिलियन रुपये की अधिसूचित रकम हेतु एक समर्पित विशेष पुनर्खरीद (Repo) खिड़की खोली।

- 22 जुलाई को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी नामित बैंकों / संस्थाओं या कम्पनियों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हुए कि आयातित सोने का कम से कम 1/5वां हिस्सा अनन्य रूप से निर्यात के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाए, सोने के आयात को तर्कसंगत बना दिया। किसी भी प्रकार की योजना के तहत सोने के किसी भी प्रकार के आयात के लिए इस 20/80 वाले सूत्र का पालन करना होगा। इसके परिणामस्वरूप परेषण के आधार पर सोने के आयात पर रोक लगाने वाले पूर्ववर्ती अनुदेश वापस ले ि लए गए।

- 23 जुलाई को रिज़र्व बैंक ने चलनिधि को कठोर बनाने वाले उपायों को प्रत्येक वैयक्तिक बैंक के स्तर पर पुनर्खरीद के माध्यम से चलनिधि समायोजन सुविधा तक पहुंच को विनियमित करते हुए तथा इसे बैंक की अपनी निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करते हुए आशोधित कर दिया। यह उपाय 24 जुलाई, 2013 से लागू हो गया। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR), जिसे बैंकों को 70 प्रतिशत की दैनिक आवश्यकता की शर्त पर पाक्षिक औसत के आधार पर बनाए रखना होता है, को बैंकों के लिए इस आवश्यकता के दैनिक आधार पर न्यूनतम 99 प्रतिशत तक बनाए रखने की अपेक्षा के साथ आशोधित कर दिया गया।

मुख्य घटनाएं

टाटा ने पहले सफेद लेबल वाले एटीएम की शुरूआत की

टाटा कम्युनिकेशन्स की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सॉल्यूशन्स (TCPS) ने देश के पहले सफेद लेबल वाले एटीएम की शुरूआत मुंबई के पास वाले एक टियर V के नगर चन्द्रपाड़ा में की। उक्त सुविधा को इंडियाकैश ब्रॉण्ड नाम दिया गया है। टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सॉल्यूशन्स (TCPS) ने अपनी बी योजना के तहत सफेद लेबल वाले एटीएम परिचालन की

शुरूआत करने हेतु पिछले माह में लाइसेंस प्राप्त किया था। इस योजना के तहत सफेद लेबल वाले एटीएम के लाइसेंसदार को तीन वर्ष तक प्रति वर्ष कम से कम 5,000 एटीएम संस्थापित करने होंगे।

टियर III से टियर VI वाले केन्द्रों में संस्थापित प्रत्येक दो एटीएमों के लिए उक्त कम्पनी टियर I और टियर II केन्द्रों में एक एटीएम संस्थापित कर सकती है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए निजी अभिनियोजन मानदंड कठोर बनाए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) से खुदरा निवेशकों से निजी अभिनियोजन में धनराशि न जुटाने के लिए कहा है। पिछले दिनों गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां खुदरा जनता से निजी अभिनियोजन के माध्यम से, विशेषत: डिबेंचरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाती रहीं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जो उन पर नहीं लागू होता था उस कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत गैर-वित्तीय कम्पनियों के मामले में निजी अभिनियोजन को अन्य वित्तीय कम्पनियों के सममूल्य पर ला दिया है। विनियामक चाहता है कि डिबेचरों का निजी अभिनियोजन गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रारंभिक तौर पर अभिज्ञात 49 निवेशकों तक सीमित रखा जाए। किसी एक निवेशक के लिए न्यूनतम अभिदान 25 लाख रुपये और उसके बाद 10 लाख रुपये के गुणजों में होगा। इसके अलावा डिबेंचरों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग स्वयं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि अन्य समूह या मूल फर्मों के संसाधन के रूप में।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी -आस्ति वित्त कम्पनियां स्वचालित मार्ग से बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति वित्तीयन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को इसके पूर्व यथा-अधिदिष्ट अनुमोदन मार्ग के बजाय स्वचालति मार्ग से बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति दे दी है। अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी आस्ति वित्तीयन कम्पनियां ऐसे मूलभूत सुविधा उपकरण, जो मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को पट्टे पर दिया जाएगा, के वित्तीयन के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियां जुटा सकती हैं। इस मुहिम का उद्देश्य ऐसे समय में डालर के अन्तर्वाह को बाना है ाब रुपया कमाोर पड़ रहा हो। स्वाालित मार्ग के तहत बकाया बाह्य वाणियिक उधार सहित इस प्रकार के बाह्य वाणियिक उधार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-आस्ति वित्तीयन कम्पनियों की स्वाधिकृत निधियों के 75% तक लिये ाा सकते हैं, किन्तु वे प्रत्येक वित्त वर्ष में अधिकतम 200 मिलियन डालर जुटा सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति वित्त कम्पनियों से मुद्रा जोखिम को पूरी तरह प्रतिरक्षित करने के लिए कहा है। आस्ति वित्त कम्पनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधार में उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 75% से अधिक उधार लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

उन्हीं सेवाओं के लिए एकसमान प्रभार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणदाताओं को उनके ग्राहकों के साथ भेदभाव न करने और एकसमान, न्यायोचित एवं पारदर्शी मूल्य-निर्धारण नीति अपनाने का निदेश दिया है। बैंकों को कोर बैंकिंग समाधान प्लेटफार्म के तहत अपनी शाखा और अन्य शाखा के अपने ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि अपनी शाखा में कोई विशिष्ट सेवा नि:शुल्क प्रदान की जाती है, तो वही सेवा अन्य शाखाओं में भी नि:शुल्क प्राप्त की जानी चाहिए। ग्राहकों द्वारा अपनी शाखा और अन्य शाखाओं में किए जाने वाले उसी प्रकार के लेनदेनों के लिए इंटरसोल प्रभारों के सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा उत्पादों एवं सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले प्रभार इंटरसोल प्रभार कहे जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि इंटरसोल प्रभारों के बीच अनेकरूपता बैंक प्रभारों के औचित्य के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना के विपरीत है।

पंजीकृत टेली-विपणनकर्ता नियुक्त करें

ग्राहक परिवाद समस्या के निराकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपनी संवर्धक गतिविधियों के लिए केवल पंजीकृत टेली-विपणनकर्ताओं को ही नियुक्त करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि अनेक बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपनी सेवाओं का विपणन करने के लिए ऐसे टेली-विपणनकताओं को नियुक्त करते हैं, जो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (TRAI) के पास पंजीकृत नहीं हैं। गैर-पंजीकृत टेली-विपणनकर्ता राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान रजिस्टर में पंजीकृत ग्राहकों को वाणिज्यिक टेलीफोन काल करने के लिए सामान्य टेलीफोन कनेक्शनों का उपयोग कर रहे थे, इस प्रकार बहुत सारे ग्राहक परिवाद निर्मित कर रहे थे। अतएव इस बात पर पुन: बल दिया जाता है कि बैंकों को उनकी समस्त संवर्धक / टेली-विपणन गतिविधियों के लिए केवल ऐसे ही टेली-विपणनकर्ताओं को नियुक्त करना चाहिए जो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (TRAI) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-सीटीएस चेकों को समाप्त करने की प्रक्रिया आसान की

अवशिष्ट गैर-चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) 2010 मानक चेक वापस लिए जाने की समय-सीमा को 31 मार्च से बढ़ा कर 31 जुलाई, 2013 करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब 1 जनवरी, 2014 से उत्तर-दिनांकित और समीकृत मासिक किस्त वाले चेकों सहित अवशिष्ट गैर-सीटीएस 2010 लिखतों के समाशोधन के लिए मुंबई, चेन्नै और नई दिल्ली के तीन सीटीएस केन्द्रों में अलग समाशोधन सत्र की शुरूआत की है। अलग समाशोधन सत्र प्रारंभ में 30 अप्रैल, 2014 तक सप्ताह में तीन बार सोमवार, बुध ख्तूबर 2014 तक घटाकर सप्ताह में दो बार (सोमवार और शुक्रवार) तथा फिर 1 नवम्बर, 2014 से सप्ताह में एक बार सोमवार को कर दी जाएगी।

बैंकों के लिए आयात ऋण अवधि को परिचालन चक्र से जोड़ना जरूरी

अल्पावधिक ऋण से जोखिमों के जमाव को रोकने के एक उपाय के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से आयात के लिए व्यापार ऋणों को परिचालन चक्र तथा व्यापारिक लेनदेनों से जोड़ने के लिए कहा है । बैंकरों का कहना है कि उक्त निदेश ऋण के उपयोग के प्रतिमान को युक्तियुक्त बनाने का एक उपाय है। व्यापार ऋण की सस्ती दरों के परिणामस्वरूप इकाई के परिचालन चक्र को जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक उधार लेने की प्रवृत्ति बन गई थी। उदाहरण के लिए यदि (माल एवं सामग्री का आयात करने वाली) इकाइयों का परिचालन चक्र तीन माह होता था, तो वे विदेशी मुद्रा में सस्ती निधियों का उपयोग करने हेतु छ: माह के व्यापार ऋण की मांग किया करती थीं। विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय की स्थिति के अप्रतिरक्षित होने पर इससे इकाइयां मुद्रा जोखिम के प्रति अनारक्षित हो ाया करती थीं।

बैंकिंग ागत की घटनाएं

वित्तीय पुनर्व्यवस्था योाना के तहत ाारी राय विद्युत वितरण कम्पनियों के बॉण्ड सांविधिक ालनिधि अनुपात की हैसियत के पात्र नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय पुनर्व्यवस्था योजना के एक अंग के रूप में जारी बॉण्ड सांविधिक चलनिधि अनुपात की हैसियत के पात्र नहीं होंगे तथा उनका मूल्यांकन पिछले वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जाएगा। पिछले वर्ष केन्द्र ने बैंकों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के लिए वित्तीय पुनर्व्यवस्था योजना के तहत जारी बॉण्डों को सांविधिक चलनिधि अनुपात की हैसियत देने वाले एक प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। जब कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्यों को निदेश दिया है कि वे बैंकों को गारंटियां देने से पहले अपनी गारंटी सीमाओं पर विचार कर लें, वहीं ऋणदाता किसी भी ऐसी राज्य विद्युत वितरण कम्पनी की पुनर्संरचना के लिए सहमत नहीं है जो (सरकार) राज्य द्वारा पूर्णत: गारंटीकृत न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक मोचननिषेध के कारण बढ़ती अनर्जक आस्तियों पर रोक लगी

वर्ष 2008 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनर्व्यवस्थित ऋणों के मानदंडों को कई बार शिथिल किया था तथा ऋणों की चुनिंदा श्रेणियों के लिए कमतर प्रावधानीकरण की अनुमति दी थी। नेक इरादों वाली वि नियामक छूटों ने अनर्जक आस्तियों में 90,000 करोड़ रुपये की वृद्धि को रोक दिया है। इन छूटों में सूक्ष्म वित्त कम्पनियों को अप्रतिभूत ऋणों को 2011 में पुनर्व्यवस्थित किए जाने की अनुमति देना और मामला-दर मामला आधार पर ऋणों की दूसरी पुनर्व्यस्था की अनुमति देना शामिल था। राज्य ि बजली बोर्ड और विमानन क्षेत्र दो ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिनमें ऋणों को दूसरी बार पुनर्व्यवस्थित किया गया था, किन्तु उन्हें अनर्जक आस्तियों के रूप में नहीं वर्गीकृत किया गया था।

बैंक अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिमों के लिए प्रावधानीकरण बढ़ाएंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम (एक्सपोजर) रखने वाली कम्पनियों के प्रति अनाश्रित बैंकों के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण एवं पूंजी आवश्यकता लागू कर दिया है। ये उपाय, जिन्हें कारपोरेटों के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिमों के रूप में लागू किया गया है, उनके तथा उनके साथ ही वित्तपोषक बैंकों तथा वित्तीय प्रणाली के लिए भी जोखिम के स्रोत होते हैं। भारी अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिमों की परिणति कुछेक मामलों मे खातों के अनर्जक आस्ति बन जाने के रूप में हुई है। अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम (Exposure) का अर्थ यह है कि कारपोरेटों और बैंकों के निधि एवं गैर-निधि-आधारित एक्सपोजर मुद्रा में प्रतिकूल उतार-चढ़ावों के समक्ष संरक्षित नहीं हैं। एक विवेकसम्मत उपाय के रूप में इन कारपोरेटों के प्रति (बैंकों के) सभी ऋण जोखिमों (चाहे वे विदेशी मुद्रा में हों या फिर भारतीय रुपये में) पर वृद्धिशील (अर्थात् वर्तमान आवश्यकता के अलावा) पूंजी और प्रावधानीकरण आवश्यकता लागू होगी। वृद्धिशील कुल ऋण जोखिम पर वृद्धिशील प्रावधानीकरण आवश्यकता संभाव्य हानि के अनुमान (अप्रतिरक्षित स्थिति की जोखिमपूर्णता के अनुमान) के लिए 15% से अधिक और 30% तक 20 आधार अंकों तथा 70% से अधिक की संभाव्य हानि के लिए 80 आधार अंकों की श्रेणी में होंगी। प्रवधानीकरण की यह नयी आवश्यकता वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अलावा होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि संभाव्य हानि के 75% से अधिक होने पर जोखिम-भार में 25% की वृद्धि हो जाएगी।

साख (ऋण) आसूचना में हिस्सेदारी करने हेतु उधारकर्ता की सहमति जरूरी नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण आसूचना कम्पनियों (CICs) के साथ ऋण आसूचना में हिस्सेदारी करने के लिए उधारकर्ता की सहमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। यह सलाह इसलिए दी गई है, क्योंकि ऋण आसूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम में ऋण संस्थाओं द्वरा ऋण आसूचना कम्पनियों के साथ ऋण आसूचना में हिस्सेदारी करने हेतु सांविधिक समर्थन की व्यवस्था है। ऋण आसूचना कम्पनी (विनियमन) अधिनियम के प्रवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप सहमति खण्ड अप्रासंगिक हो गया है। इसके पहले ऋण / साख दस्तावेज़ों में सहमति खण्ड (ऋण आसूचना कम्पनियों के साथ सूचना में हिस्सेदारी करने हेतु) आवश्यक हुआ करता था।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्णत: महिला बैंक को सैद्धांतिक स्वीकृति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत के पहले पूर्णत: महिला बैंक के गठन को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित किया जाने वाला अब तक का पहला वाणिज्यिक बैंक होगा तथा शुरूआत में छ: शाखाओं के साथ इसके पूरे भारत में उपस्थिति दर्ज कराने की आशा है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखे जाने की संभावना है। बैंक की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के रूप में सरकार प्रारंभ में 1,000 करोड़ रुपये लगाएगी। प्रारंभ में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व मध्य और उत्तर-पूर्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में कम से कम एक शाखा के साथ बैंक के नवम्बर में आरंभ होने की आशा है।

यह महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सहायता प्रदान करने के अलावा अधिकांशतया महिलाओं और महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को उधार देगा। यह मुख्य रूप से महिलाओं को नियोजित करेगा तथा जमाराशियां पुरुषों और महिलाओं, दोनों से स्वीकार करेगा।

खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष से 14.4% अधिक

पिछले आठ पखवाड़ों से निवेश में तेजी के अभाव ने खाद्येतर ऋण वृद्धि को वर्षानुवर्ष (Y-O-Y) 15% से कम के स्तर पर रखा है। 12 जुलाई को समाप्त पखवाड़े के लिए खाद्येतर ऋण वर्षानुवर्ष 14.4% की निष्प्रभ गति से बढ़ कर 52,89, 695 करोड़ के स्तर तक पहुंा गया। 22 मार्ा को समाप्त पखवाड़े में ऋण वृद्धि घट कर वर्षानुवर्ष 15% से कम हो कर वर्षानुवर्ष 14.4% हो गई। तब से वर्षानुवर्ष ऋण वृद्धि 13.75% और 14.91% के बीा वाली श्रेणी में रही। बैंकरों को वित्त वर्ष 14 की पहली छमाही में नयी परि योजनाओं के लिए ऋणों की मांग में किसी प्रकार की तेजी आने की आशा नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 14 के लिए पिछले वर्ष के अनुमान से 100 आधार अंक कम, 15% की ऋण वृद्धि का अनुमान लगाया है। कारपोरेट ऋणों में मंदी की पृष्ठभूमि में बैंकरों द्वारा खुदरा ऋणों पर ध्यान केन्द्रित रखने का क्रम जारी रहेगा। खुदरा ऋण संविभाग का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए बैंकों ने आवास खण्ड में उनकी उधार दरों, जिसमें खुदरा ऋण का सबसे बड़ा खण्ड शामिल है, को अस्थायी रूप से सुधारना आरंभ कर दिया है।

बैंक धोखाधड़ियां : संख्याओं में गिरावट, किन्तु रकम में तीव्र वृद्धि

जहां बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या में वित्त वर्ष 10 और वित्त वर्ष 13 के बीच कमी आई है, वही उनमें फंसी रकम में 324% की वृद्धि हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार लगभग 80% मामले 1 लाख रुपये से कम रकमों से सम्बन्धित थे, जबकि समग्र आधार पर ऐसे मामलों में फंसी रकम कुल फंसी रकम की लगभग 2% थी। भारी मूल्य (50 करोड़ रुपये और उससे अधिक) वाली धोखाधड़ी के मामलों में वित्त वर्ष 2009-10 के तीन मामलों के मुकाबले दस-गुने से ज्यादा वृद्धि हुई है।,बैंकिंग विनियामक ने धोखाधड़ियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है : प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित, अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि से सम्बन्धित और अग्रिम से सम्बन्धित। कुल फंसी रकम में अग्रिम संविभाग से सम्बन्धित धोखाधड़ियां की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
धोखाधड़ी के मामलों की वर्ष-वार संख्या और रकम

वर्ष	मामलों की संख्या	कुल रकम (करोड़)
2009-10	24,791	2,037.81
2010-11	19,827	3,832.08
2011-12	14,735	4,491.54

2012-13	13,293	8,646.00
योग *	1,69,190	22,910.12

* मार्च, 2013 के दिन रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ियां

विनियामकों के कथन

बैंकों के समक्ष गृह ऋणों में भारी आस्ति-देयता असंतुलन उपस्थित

यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक देश के बढ़ते विदेशी ऋण के बारे में चिंतित है, उसने आवास के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की अनुमति दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान का कहना है कि हम भारत के विदेशी ऋणों में भारी पैमाने पर हो रही वृद्धि के बारे में बहुत अधिक चिंतित हैं, किन्तु आवास क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हम ने बाह्य वाणिज्यिक उधार को वर्ष में 1 बिलियन अमरीकी डालर तक की अनुमति देते हुए सीमित रूप से मुक्त कर रखा है। श्री खान ने इस बात का उल्लेख किया कि बैंकों को आवास को उधार देने में भारी आस्ति-देयता असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। बैंक अल्पावधिक जमाकर्ताओं से जमाराशियां संग्रहीत करने का व्यवसाय करते हैं किन्तु आवास ऋण एक दीर्घावधिक वित्त होता है। अतएव आस्ति-देयता और संसाधनों की उपलब्धता तथा दीर्घावधिक ब्याजगत देयता प्राप्त करने से सम्बन्धित मुद्दों की दृष्टि से भारी असंतुलन मौजूद है ताकि वे दीर्घावधिक आवास वित्त की जरूरतें पूरी कर सकें।

बैंकों में विनियामक अनुपालन हेतु प्रणालियों का होना आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का कहना है कि बैंकों के लिए आंतरिक प्र क्रियाओं तथा उनके साथ ही विनियामक आदेशों से विचलनों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के ि लए प्रणालियों को लागू करना आवश्यक है। उनका कहना है कि "अनुपालन से जुड़े मुद्दों को संभालने के लिए बैंकों के पास एक अनुपालन नीति, ढांचे , अनुदेश तथा सही व्यक्तियों के समूह का होना जरूरी है। बैंकों के लिए आंतरिक और बाहरी अनुपालन की लेखा-परीक्षा करवाना भी जरूरी है, अन्यथा सारा अनुपालन महज कागज़ पर ही धरा रह जाएगा।"

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए डॉ. सुब्बाराव के 10 धर्मादेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव चाहते हैं कि शीर्ष बैंक बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अनुक्रिया करने हेतु ज्ञान की संस्था बने। "भारत सहित विश्वभर में केन्द्रीय बैंकों की स्वायत्तता और जवाबदेही के बारे में एक दुर्वह बहस चल रही है। किसी केन्द्रीय बैंक से मौद्रिक नीति से भी आगे जाने की आशा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक को वैश्विक घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, यह अब

एकांत में रह कर परिचालन नहीं कर सकता।" भारतीय रिज़र्व बैंक के एक ज्ञान की संस्था बनने के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए डॉ. सुब्बाराव ने केन्द्रीय बैंक को भविष्य के प्रति तैयार रहने तथा अपने ज्ञान को बुद्धिमत्ता में रूपांतरित करने के लिए 10 विशेषताएं बताईं। जिन विशेषताओं को उन्होंने सूचीबद्ध किया, वे निम्नानुसार हैं : भारतीय रिज़र्व बैंक को वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही दुनिया में नीति का प्रबन्धन करना सीखना चाहिए; बुद्धिमत्तापूर्ण,परिपक्व एवं संतुलित निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए; नयी चीजें सीखने के लिए खुले दिमाग वाला होना चाहिए, आवश्यक रूप से एक सीखने वाली संस्था होना चाहिए, आवश्यक रूप से ज्ञान सृजित करना चाहिए; मुक्त, संवादशील होना चाहिए, आवश्यक रूप से व्यापक पहुंच का लक्ष्य रखने वाला; आवश्यक रूप से जवाबदेही को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करने वाला; सकारात्मक सोच वाला तथा मूल्यों एवं नैतिक नियमों द्वारा प्रेरित होना चाहिए।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को बैंक उधार : आय सृजन मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनिर्दिष्ट किया है कि आय सर्जक गतिविधियों के लिए पुन: उधार देने हेतु सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को बैंक ऋण आय सर्जक गतिविधियों को दिए गए ऋणों के 70% से कम नहीं होना चा हिए और वह प्राथमिकता प्राप्त उधार के लिए पात्र होगा, इसके पूर्व यह सीमा 75% थी।

विदेशी मुद्रा

अगस्त, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.67319	0.482	0.776	1.168	1.563
जीबीपी	0.85938	0.7098.	0.8717	1.1140	1.4051
यूरो	0.46643	0.556	0.741	0. 964	1.196
जापानी येन	0.41429	0.275	0.316	0.379	0.463
कनाडाई डालर	1.37000	1.552	1.780	2.033	2.257
आस्ट्रेलियाई डालर	2.47600	2.645	2.893	3.185	3.420
स्विस फ्रैंक	0.24340	0.198	0.337	0.522	0.730
डैनिश क्रोन	0.62000	0.7850	0.9745	1.2050	1.4420
न्यूजीलैंड डालर	2.91250	3.370	3.708	3.965	4175

स्वीडिश क्रोन	1.28000	1.446	1.674	1.890	2.110
सिंगापुर डालर	0.47500	0.705	1.000	1.405	1.795
हांगकांग डालर	0.51000	0.650	0.930	1.310	1.700
एमवाईआर	3.28000	3.370	3.480	3.700	3.840

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**26 जुलाई, 2013 के दिन**	**26 जुलाई, 2013 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 5322 3	2 80,,162 9
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 849.2	2 52, 050. 7
ख) सोना	1, 286, 8	21, 555. 5
ग) विशेष आहरण अधिकार	257,75	4, 374.2
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	128.6	2, 182.5

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
पंजाब नैशनल बैंक	एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज	किसानों, संसाधकों और बाज़ार के सहभागियों को ऋण प्रदान करना। वे अपनी उपजों के समक्ष बैंक से ऋण लेने में समर्थ होंगे।
	राष्ट्रीय बीज निगम लि मिटेड	किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपजाने हेतु वित्तीयन करने के लिए।
कोटक महिन्द्रा बैंक	वेस्टर्न यूनियन	उक्त सेवा देश में वैध पहचान प्रमाण वाले किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक खाते में धनराशि सीधे विप्रेषित करने की अनुमति देती है।

सिंडिकेट बैंक	जीवन बीमा निगम (LIC)	बैंक के विशाल ग्राहक आधार को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक	यूएई एक्सचेंज एण्ड फाइनैंसियल सर्विसेज	एक ऐसे सह-ब्रॉण्डयुक्तपूर्व-प्रदत्त स्टेट बैंक एक्सप्रेस मनी कार्ड की शुरूआत की गई जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की मुद्रा अंतरण योजना के तहत प्राप्त आवक विप्रेषणों को लोड करने के लिए वीसा नेटवर्क पर 50,000 रुपये तक लोड किए जा सकते हैं।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	क्रेडिनस्टल्ट फर वेडराउतबाऊ (KIW), जर्मनी	100 मिलियन यूरो का ऋण करार तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को पुन: उधार देने के लिए 500,000 यूरों का वित्तीयन करार।
एचडीएफसी बैंक	जेट एअरवेज़	भारत के प्रथम प्रीमियम डेबिट कार्ड - जेट प्रिविलेज- एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड डेबिट कार्ड की शुरूआत की गई।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	दुपहिया वाहनों को छोड़कर उसके वाहनों की सम्पूर्ण श्रेणी के वित्तीयन की सुविधाओं के लिए ।
येस बैंक	ऐगोन (AEGON) रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस (ARLI)	बीमा प्रीमियम की वसूली के लिए।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री सुधीर कुमार जैन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सिंडिकेट बैंक
श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
श्री एम.एस. राघवन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,आईडीबीआई बंक लिमिटेड
सुश्री अरुन्धती भट्टाचार्य	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री एस.बी. मैनाक	प्रबन्ध निदेशक, जीवन बीमा निगम

बॉण्ड बाज़ार की मूलभूत जानकारी

बॉण्ड एक ऐसा लिखत है जिसका उपयोग किसी कम्पनी या सरकार द्वारा एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर -स्थिर या अस्थिर पर उधार लेने हेतु किया जाता है। बॉण्ड एक ऋण लिखत होता है तथा इनका क्रेता किसी कम्पनी या सरकार का लेनदार होता है। किसी बॉण्ड का अंकित मूल्य जिसे सममूल्य भी कहा जाता है, वह रकम होती है, जो किसी बॉण्ड धारक को बॉण्ड के

परिपक्व होने पर प्राप्त होती है। कूपन वह ब्याज दर होती है जो बॉण्ड धारक परिपक्वता की तिथि तक (आम तौर पर अर्ध-वार्षिक आधार पर) प्राप्त करता है, जो तब आती है जब उधार ली गई

धनराशि चुकता कर दी जाती है। बॉण्ड से जुड़ा एक अन्य शब्द है प्रतिफल। यह किसी बॉण्ड में निवेश करने से अर्जित प्रतिलाभ से सम्बन्धित होता है। प्रतिफल बॉण्ड की कीमत द्वारा विभाजित कूपन (ब्याज) की रकम के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बॉण्ड की कीमत और प्रतिफल प्रतिलोमी रूप से सम्बन्धित होते हैं। बॉण्ड की कीमत कई एक कारकों के प्रत्युत्तर में बदलती रहती है । किसी बॉण्ड को तब अधिमूल्य पर खरीदा-बेचा जा रहा है कहा जाता है जब उसकी कीमत अंकित मूल्य से अधिक हो जाती है और उसे तब बट्टे पर कहा जाता है जब उसकी कीमत अंकित मूल्य से कम हो।

बासेल III - पूंजी विनियमन

बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बासेल समिति (BCBS) द्वारा दिसम्बर 2010 में जारी बासेल III ढाचे का मुख्य उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक दबावों, उसका स्रोत चाहे जो भी हो, से पैदा होने वाले आघातों को अवशोषित करने में बैंकिंग क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाना है, इसप्रकार वास्तविक अर्थव्यवस्था को वित्तीय क्षेत्र से जमा स्टॉक (Spillover) के जोखिम को कम करना है। उक्त सुधार पैकेज बासेल II ढांचे के तहत मौजूद कुछेक प्रावधानों को संशोधित करेगा तथा कुछेक नयी संकल्पनाएं एवं अपेक्षाएं लागू करेगा। ये नये वैश्विक विनियामक एवं पर्यवेक्षी मानक यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक लाभकारी कारबार वाले संस्थान और क्षीण संस्थान, दोनों ही आधार पर हानियों को अवशोषित करने, पूंजी ढांचे की जोखिम सुरक्षा बढ़ाने, जोखिम-आधारित पूंजी माप के बैकस्टॉप के रूप में काम करने हेतु उत्तोलन अनुपात लागू करने, पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया (स्तंभ-2) और सार्वजनिक प्रकटन (स्तंभ-3) आदि के लिए मानकों को उन्नत करने के लिए बैंक बेहतर ढंग से समर्थ हैं, मुख्यत: पूंजी की गुणवत्ता और स्तर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बासेल III के स्थूल विवेकसम्मत पहलू व्यापक तौर पर पूंजी भंडारों में समाविष्ट हैं। दोनों भंडारों, अर्थात् पूंजी संरक्षण भंडार और प्रति-चक्रीय भंडार से बैंकिंग क्षेत्र को अतिशय ऋण वृद्धि की अवधियों से संरक्षित करना अभिप्रेत है। बासेल III के प्रावधानों में निम्नलिखित का समावेश है :

क) बासेल III पूंजी विनियमन भारत में 1 अप्रैल, 2013 से चरणों में कार्यान्वित किया गया है और यह 31 मार्च, 2018 को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

ख) बासेल III में सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम बासेल III पूंजी अनुपातों, पूंजी के घटकों आदि के सम्यक विनियामक समायोजनों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संक्रामी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। फलत: बासेल III पूंजी विनियमन 31 मार्च, 2018 को पूरी तरह कार्यान्वित कर दिए जाएंगे।

ग) बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे (पूंजी संरक्षण भंडार और प्रति-चक्रीय पूंजी भंडार को छोड़कर) जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में स्तंभ-1 के अनुसार न्यूनतम 9% का पूंजी अनुपात निरंतर आधार पर बनाए रखें।

घ) बासेल III दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी आवश्यकताएं प्रारंभिक अवधियों में कम हैं और बाद वाले वर्षों में अधिक हैं।

ङ) बैंकों से अपेक्षित है कि वे बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत 30-06-2013 को समाप्त तिमाही से परिकलित पूंजी अनुपातों को प्रकट करें।

च) बासेल III पूंजी विनियमन पहले की भाति ही बासेल II के पूंजी पर्याप्तता ढांचे आदि के तीन पारस्परिक रूप से पुनर्बलित करने वाले स्तंभों यथा- न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं, पूंजी पर्याप्तता का पर्यवेक्षी पुनरीक्षण और बाज़ार अनुशासन पर आधारित होने का क्रम जारी है।

किसी बैंक को पूंजी पर्याप्तता अनुपात आवश्यकताओं का पालन दो स्तरों, यथा- समेकित ("समूह") स्तर और एकल (अलग) स्तर पर करना होगा, जो किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता को उसकी पूंजीगत शक्ति एवं जोखिम प्रोफाइल के आधार पर करते हैं।

बासेल II ढांचे के तहत कुल विनियामक पूंजी में टियर-I (स्थायी पूंजी) और टियर-II (अनुपूरक पूंजी) शामिल होती है। विनियामक पूंजी गुणवत्ता एवं मात्रा बढ़ाने के लिए पूंजी में मुख्यत: बासेल III के तहत साझी इक्विटी, गैर-इक्विटी टियर-I और टियर-II पूंजी बासेल III में यथा-निर्धारित पात्रता मानदंड की शर्त पर विनियामक पूंजी का अंग बनी रहेगी। तदनुसार, कुल विनियामक पूंजी में निम्नलिखित श्रेणियों के योग का समावेश होगा :

i) टियर-I पूंजी (गतिशील संस्थान की पूंजी) : जिसमें इनका समावेश होगा :

क) साझी इक्विटी टियर-I पूंजी

ख) अतिरिक्त टियर-I पूंजी

ii) टियर-II पूंजी (मृत संस्थान की पूंजी)

टियर-I पूंजी में साझे शेयरों (चुकता पूंजी, स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम), सांविधिक आरक्षित निधियों, अन्य प्रकटित आरक्षित निधियों, यदि कोई हो, आदि का समावेश होता है। अतिरिक्त टियर-I पूंजी में सतत असंचयी अधिमानी शेयरों (PNCPS), ऋण पूंजी लिखतों, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार किसी अन्य प्रकार के लिखतों आदि का समावेश होता है। साझी इक्विटी टियर-I (CET1) पूंजी निरंतर आधार पर आवश्यक रूप से जोखिम-भारित आस्तियों (RWAs) अर्थात् ऋण जोखिम + बाज़ार जोखिम + परिचालन जोखिम के लिए का कम से कम 5.5% होनी चाहिए। इस प्रकार न्यूनतम टियर-I पूंजी में जोखिम-भारित आस्तियों की अधिकतम 1.5% अतिरिक्त टियर-I पूंजी शामिल की जा सकती है। कुल पूंजी (टियर-I पूंजी जोड़िए टियर-2 पूंजी) निरंतर आधार पर जोखिम-भारित आस्तियों की कम से कम 9% अवश्य होनी चाहिए। इसप्रकार, 9% के न्यूनतम जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) में अधिकतम 2% तक की टियर-2 पूंजी शामिल की जा सकती है। यदि किसी बैंक ने न्यूनतम साझी इक्विटी टियर-1 और टियर-1 पूंजी अनुपातों का पालन किया है, तो अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की अधिक रकम को जोखिम-भारित आस्तियों के 9% के जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात के अनुपालन हेतु शामिल किया जा सकता है। जोखिम-भारित आस्तियों के 5.5% की न्यूनतम साझी इक्विटी टियर-1 पूंजी के अलावा बैंकों के लिए साझी इक्विटी टियर-1 पूंजी के रूप में जोखिम-भारित आस्तियों के 2.5% का पूंजी संरक्षण भंडार (CCB) भी बनाए रखना आवश्यक है।

(क्रमश: ---)

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक
(अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की विशेषता जारी रहेगी।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के माध्यम से रिपोर्ट किया जाने वाला मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा जो श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में व्यापक अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रास्फीति हो रही है इसका निर्धारण करने के एक तरीके के रूप में माल का एक निश्चित समूह खरीदने के लिए लागत की गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक आधार वर्ष का उपयोग किया जाता है और आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर वर्तमान वर्ष की कीमतों की सूची बनाई जाती है। सुर्खियों में आए अंक को सामयिकता या खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों के प्राय: अस्थिर तत्वों के लिए समायोजित नहीं किया जाता, जिन्हें मूल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से निकाल दिया जाता है। सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति को आम तौर पर वार्षिक आधार पर उद्धृत किया जाएगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि 4% की मासिक आधार पर सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति उस मा सिक दर के बराबर होती है, जो 12 माह के लिए दोहराए जाने पर वर्ष के लिए 4% की मुद्रास्फीति सृ जित करेगी। सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति की तुलना विशिष्ट रूप से वर्षानुवर्ष आधार पर की जाती है। इसे "शीर्षस्थ मुद्रास्फीति" भी कहा जाता है।

शब्दावली

सफेद लेबल वाले एटीएम

सफेद लेबल वाले एटीएम या सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीने या डब्ल्यूएलएज भारत में बैंकेतर संस्थाओं / कम्पनियों द्वारा स्वाधिकृत एवं परिचालित होंगी। इस प्रकार के सफेद लेबल वाले एटीएम से किसी बैंक का ग्राहक धन आहरित करने में समर्थ होगा, किन्तु सेवाओं के लिए भुगतान करना जरूरी होगा। ये सफेद लेबल वाली स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) किसी विशिष्ट बैंक के प्रतीक को नहीं प्रदर्शित करेंगे तथा इनके गैर-पारंपरिक स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है ।

संस्थान की गतिविधियां

अगस्त, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक

1	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 5वां कार्यक्रम	19 से 24 अगस्त, 2013
2	9वां लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम -पीडीआई	19 से 21 अगस्त, 2013

3	3रा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं साइबर अपराध पर एक-दिवसीय कार्यशाला	26 अगस्त, 201319
4	'टॉपसिम -तुलनपत्र अनुरूपण	26 से 27 अगस्त, 2013

जून, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	आवास वित्त पर 3रा कार्यक्रम	8 से 10 जुलाई, 2013 तक
2	ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम) पर 6ठा कार्यक्रम	22 से 26 जुलाई, 2013 तक
3	अपने ग्राहक को जानिए / ऋण शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 3रा कार्यक्रम	22 से 24 जुलाई, 2013 तक
4	खुदरा बैंकिंग पर 2रा कार्यक्रम	29 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक

संस्थान समाचार

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

ई-इंडिया पुरस्कार

संस्थान ने 23/7/2013 को हैदराबाद में आयोजित 8वें ई-इंडिया पुरस्कार के दौरान प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन के लिए सहायक प्रफद्योगिकी के उपयोग हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री श्री पोन्नाला लक्ष्मैय्या के कर कमलों से उद्धरण एवं ट्रॉफी जीती है। यह

पुरस्कार इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस द्वारा देश के विभिन्न भागों में कारबार संपर्की / कारबार सुसाधक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण -सह प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए मान्यता के रूप में था।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

98.00
93.00
88.00
83.00
78.00
73.00
68.00
63.00
58.00

01/07/13 03/07/13 08/07/13 10/07/13 11/07/13 15/07/13 18/07/13 19/07/13 25/07/13 29/07/13 31/07/13

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- नये पूंजी बहिर्वाहों तथा आयातकों से डालर की स्थिर मांग के परिणामस्वरूप लगातार तीसरे दिन 3री को रुपया 55 पैसे गिर कर अमरीकी डालर के समक्ष 60.21 पर बंद हुआ।
- 8वीं को रुपया 61.21 के नये न्यून स्तर पर पहुंच गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के बाद प्रति डालर 60.61 पर बंद हुआ। इसके पहले वाला न्यून स्तर 26वीं जून को 60.76 था और पिछले 9 सप्ताहों में रुपया 13.5% मूल्यह्रासित हुआ।
- मुद्रा की सट्टेबाजी पर बैंकिंग और बाज़ार के विनियामकों द्वारा सम्मिलित प्रहार रुपये के पुनरुत्थान में सहायक हुआ तथा

इससे स्थिरता के संकेत प्राप्त हुए। कमजोर रुपया जो 8वीं को गिर कर प्रति डालर 61.21 के हमेशा के न्यून स्तर पर पहुंच गया था, मजबूत हो कर 9वीं को 0.8% के उच्चतर स्तर अर्थात् 60.14 पर बंद हुआ। यह 59.72 के उच्च स्तर तक पहुंच गया, किन्तु पुन: लुढ़क गया।

- मुद्रा को सहारा देने के अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार द्वारा संचालित तेल कम्पनियों से डालरों की खरीद किसी एक बैंक से किए जाने हेतु कहे जाने के बाद 10वीं को डालर के समक्ष रुपया मजबूत हुआ10वीं को डालर के समक्ष रुपया मजबूत हुआ और उसमें 5 पैसे की मज़बूती आई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कठोर चलनिधि उपायों की घोषणा किए जाने के बाद 24वीं को रुपया 64 पैसे मज़बूत हो कर प्रति डालर 59.13 पर बंद हुआ।
- 25वीं को रुपया यह संकेत देते हुए कि भारतीय मुद्रा को संभालने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए उपायों का प्रभाव हो रहा है, डालर के समक्ष बढ़ कर 58.76 के 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

भारित औसत मांग दरें

10.50
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

02/07/13 04/07/13 06/07/13 09/07/13 11/07/13 13/07/13 15/07/13 16/0713 17/07/13 20/07/13 23/07/13 24/07/13 25/07/13 26/07/13

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, julaZ, 2013

- मांग बाज़ार में 2री को परिमाण 22,559.82 करोड़ रुपये का था और भारित औसत दर 7.20% थी।
- तयशुदा लेनदेन प्रणाली (NDS) के मांग बाज़ार में भारित औसत दर 8.54 प्रतिशत थी, जो भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के आंकड़ों के अनुसार सोमवार (15वीं) की 7.21 प्रतशत से अधिक थी।
- 29वीं को मांग बाज़ार में परिमाण 13,065.34 करोड़ रुपये रषा और भारित औसत दर 10.03 रही।
- माह के दौरान मांग दरें 5% और 10.15% की श्रेणी में घटती-बढ़ती रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20400
20200

20000
19800
19600
19400
19200
19000

01/07/13 03/07/13 05/07/13 08/07/13 09/07/13 10/07/13 11/07/13 12/07/13
15/07/13 17/07/13 22/07/13 23/07/13 24/07/13 26/07/13 30/07/13

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, 2013